NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 01 Nov , 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims**	भारत, अमेरिका ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
Page 06 **Syllabus : GS 1 : Social issues / Prelims**	सहमति ही सब कुछ है यौन हिंसा के प्रति असहिष्णुता होनी चाहिए, बचे लोगों के लिए समर्थन के साथ
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Agriculture / Prelims /**	धन प्राप्त करने से लेकर चुनौतियों का सामना करने तक, बागवानी स्विच रैयतों को एक मुश्किल में छोड़ देता है
Page 11 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims**	'पहली छमाही का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 36.5 फीसदी है'
Page 12 **Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims /**	एपेक बैठक में शी ने किया केंद्र, वैश्विक मुक्त व्यापार की रक्षा करने का वादा किया
Page 06 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 2 : International Relations**	ट्रंप ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर गिराया बम

□□□□□ □□□□□□

Page 01 : GS 2 : International Relations / Prelims

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कुआलालंपुर में 12 वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के दौरान 10 साल के "अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए रूपरेखा" पर हस्ताक्षर किए । यह समझौता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक नए चरण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना है, जो वैश्विक भू-राजनीति के लिए तेजी से केंद्रीय है।

India, U.S. sign pact to enhance defence ties

- The framework charts ties across all the defence domains – land, sea, air, space, and cyberspace
- The India-U.S. partnership will ensure an open, rules-bound Indo-Pacific region, Singh says on X
- Hegseth says coordination is being stepped up, and defence ties have never been stronger

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

India and the United States have unveiled a 10-year defence framework, marking a new phase in their strategic cooperation aimed at "advancing peace, security, and stability in the Indo-Pacific".

The "Framework for the U.S.-India Major Defence Partnership" was signed by Defence Minister Rajnath Singh and U.S. Secretary of War Pete Hegseth on the sidelines of the 12th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) in Kuala Lumpur, Malaysia, on Friday. The development came amid strained ties due to Washington's slapping of 50% tariffs on Indian goods.

According to the Ministry of Defence, both sides appreciated the continuing momentum in bilateral defence cooperation and reaffirmed their commitment to further strengthening the partnership.

Sealing the deal: Rajnath Singh and Pete Hegseth shake hands after signing a 10-year defence partnership framework in Kuala Lumpur on Friday. ANI

Progress review

They reviewed ongoing defence engagements, addressed emerging challenges, and discussed progress in defence industry and technology collaborations, the Ministry said.

Mr. Singh posted on X: "Defence will remain the major pillar of our bilateral relations. Our partnership is critical for ensuring a free, open, and rules-bound Indo-Pacific region."

Building on the 2013 Joint Principles for Defence Cooperation and the 2016 recognition of India as a Major Defence Partner (MDP), the new framework charts a 10-year road map to deepen collaboration across all defence domains – land, maritime, air, space, and cyberspace, a senior Defence Ministry official said.

The framework focuses on maintaining a free and open Indo-Pacific, enhancing interoperability, and strengthening maritime security to ensure the free flow of commerce. It also seeks to expand cooperation with like-minded partners through mechanisms such as the Quad, prevent proliferation of weapons of mass destruction, and bolster defence industrial innovation through advanced technology partnerships, the official said.

Both sides had already launched the COMPACT initiative (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology) to drive transformative changes in key areas of defence cooperation.

The new framework underscores a shared intent to respond jointly to common security threats, deter conflict, and uphold the sovereignty and autonomy of regional partners, while laying the foundation for collective peace and prosperity in the region.

'Priority partner'

The U.S. Secretary of War on Friday reiterated that India remains a priority partner for Washington in defence cooperation.

In a post, Mr. Hegseth stated that the framework advances the bilateral defence partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. "We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger," he wrote.

The defence framework is expected to give unified policy direction to transform and expand the partnership between the two countries over the next decade, the Ministry added.

The Ministry further said that India and the U.S. continue to expand their defence relationship through regular military exercises, intelligence sharing, industrial collaboration, and joint mechanisms for strategic coordination with regional and global partners.

The meeting on Friday included delegation-level discussions followed by one-on-one interaction between the two leaders.

In May this year, Mr. Singh and Mr. Hegseth held a telephonic conversation to review ongoing and upcoming initiatives aimed at strengthening defence cooperation. During that exchange, Mr. Hegseth had invited Mr. Singh to visit the U.S. for in-person discussions to advance bilateral defence ties. Mr. Singh's planned visit in August was, however, postponed amid tariff-related developments.

मुख्य विश्लेषण

1. रणनीतिक संदर्भ

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव तेज हो रहा है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के मुखर रुख के साथ। व्यापार संघर्षों के बावजूद – जिसमें वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना शामिल है – दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभ के रूप में रक्षा सहयोग की पुष्टि की है।

2. फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- अवधि: 10 वर्ष (2025-2035)।
- दायरा: सभी पांच डोमेन - भूमि, समुद्री, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सहयोग।
- उद्देश्यों:
  - एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा दें।
  - पारस्परिकता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना।
  - WMD प्रसार को रोकें और रक्षा नवाचार का विस्तार करें।
  - कॉम्पैक्ट पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना।
- यह ढांचा रक्षा सहयोग के लिए 2013 के संयुक्त सिद्धांतों और 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार (एमडीपी) के रूप में मान्यता देने पर आधारित है।

3. रणनीतिक महत्व

- भारत के लिए:
  - "मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड" ढांचे के तहत उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकियों और सह-विकास के अवसरों तक पहुंच।
  - एआई , ड्रोन और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में अपने रक्षा औद्योगिक आधार और क्षमताओं को मजबूत करना।
  - हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का सुदृढीकरण।
- अमेरिका के लिए:
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रति संतुलन के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना।
  - सूचना साझा करने, रसद सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से रणनीतिक विश्वास को गहरा करना।
  - क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों की विश्वसनीयता बढ़ाना।

4. चुनौतियाँ और बाधाएँ

- टैरिफ और व्यापार विवाद विश्वास और नीति समन्वय को प्रभावित कर सकते हैं।
- अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों के कारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमाएं।
- भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्ष अभिविन्यास परिचालन एकीकरण को सीमित कर सकता है।
- क्षेत्रीय संवेदनशीलता - रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना और चीन की प्रतिक्रिया का प्रबंधन करना।

निष्कर्ष

नया 10 साल का भारत-अमेरिका रक्षा ढांचा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाता है । यह अंतरिक्ष और साइबर जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को संस्थागत बनाता है, जबकि एक खुले, सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हालांकि, इस ढांचे की वास्तविक सफलता उभरती वैश्विक गतिशीलता के बीच आपसी विश्वास, तकनीकी तालमेल और नीतिगत निरंतरता पर निर्भर करेगी । यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह एक स्थिर हिंद-प्रशांत के लिए आधारशिला के रूप में काम कर सकता है और एक प्रमुख वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत-अमेरिका 10-वर्षीय रक्षा ढांचे (2025-2035) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कुआलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2. इसमें भूमि, समुद्री, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस डोमेन में सहयोग शामिल है।

3. यह दोनों देशों के बीच 2008 के असैन्य परमाणु समझौते की जगह लेगा।

4. यह 2016 में अमेरिका द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत की मान्यता पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(A) केवल 1, 2, और 4

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जांच करें कि भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में "शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" बनने के भारत के दृष्टिकोण में कैसे योगदान देती है। **(150 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□

Page 06 : GS 1 : Social issues / Prelims

बलात्कार को किसी भी गैर-सहमति वाले यौन कृत्य के रूप में परिभाषित करने वाले फ्रांस के ऐतिहासिक कानून का हालिया पारित होना यौन हिंसा के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कानून इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि "बल अपराध है" - यौन स्वायत्तता और न्याय के केंद्रीय स्तंभ के रूप में सहमति स्थापित करना। उत्तरजीवी गिज़ेल पेलिकॉट के साहस से प्रेरित यह सुधार, न केवल फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों की जीत का प्रतीक है, बल्कि यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों और दृष्टिकोणों को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक आह्वान का भी प्रतीक है।

मुख्य विश्लेषण

1. फ्रांस के कानूनी सुधार का महत्व

- फ्रांसीसी कानून बलात्कार को जबरदस्ती के बजाय सहमति के लेंस के माध्यम से फिर से परिभाषित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सहमति की कमी ही अपराध है।
- यह दशकों की वकालत और एक हाई-प्रोफाइल मामले के बाद उभरा जहां गिसेल पेलिकॉट ने वैवाहिक और संगठित यौन हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करने में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया।
- यह कानून एक प्रगतिशील अंतरराष्ट्रीय मिसाल कायम करता है, जो फ्रांस को स्वीडन और स्पेन जैसे अन्य देशों के साथ जोड़ता है, जिन्होंने "सहमति-आधारित" बलात्कार परिभाषाओं को अपनाया है।

2. भारत के लिए सबक

- भारत में, निर्भया (2013) के बाद व्यापक कानूनी सुधारों के बावजूद, बलात्कार के लिए दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है – लगभग 27-28% (एनसीआरबी, 2018-2022)।
- सामाजिक कलंक और पीड़ित-दोष देने का दृष्टिकोण बचे लोगों को अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकना जारी रखता है।
- भारतीय न्याय संहिता (नई आपराधिक संहिता) की धारा 129 "आपराधिक बल" को मान्यता देती है, फिर भी न्यायिक और जांच प्रक्रियाएं अभी भी अक्सर उत्तरजीवियों की सहमति और गरिमा के सिद्धांत को केंद्रित करने में विफल रहती हैं /
- सार्वजनिक प्रवचन अक्सर पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जिसमें नेताओं के बयान संरचनात्मक द्वेष को संबोधित करने के बजाय पीड़ितों को दोषी ठहराते हैं।

3. आगे का रास्ता: कानून से सामाजिक परिवर्तन तक

- यौन स्वायत्तता की कानूनी मान्यता को पुलिसिंग, जांच और परीक्षण प्रक्रियाओं में निरंतर सुधारों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए - सहानुभूति और संवेदनशीलता पर जोर देना।
- स्कूलों में जल्दी शुरू होने वाले जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम लैंगिक मानदंडों को नया आकार दे सकते हैं और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को खत्म कर सकते हैं।
- सामुदायिक जुड़ाव और उत्तरजीवी सहायता प्रणाली - जैसे आघात परामर्श, सुरक्षित स्थान और वित्तीय सहायता - पुनर्वास के लिए आवश्यक हैं।
- राज्य को न केवल नीति में बल्कि सामाजिक और संस्थागत व्यवहार में यौन हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता की खेती करनी चाहिए।

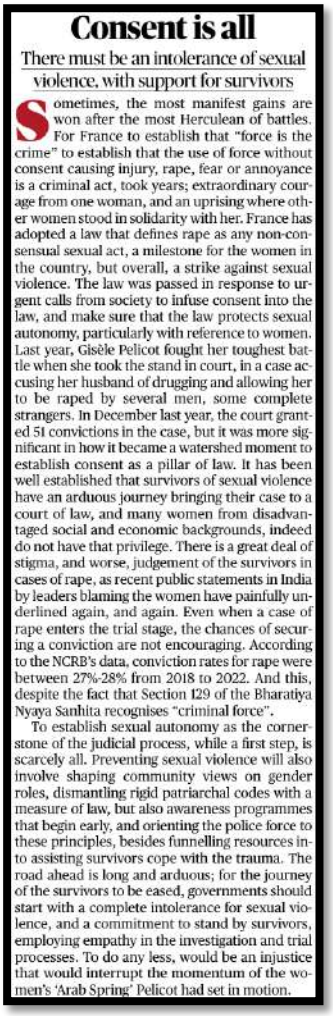

Consent is all

There must be an intolerance of sexual violence, with support for survivors

Sometimes, the most manifest gains are won after the most Herculean of battles. For France to establish that "force is the crime" to establish that the use of force without consent causing injury, rape, fear or annoyance is a criminal act, took years; extraordinary courage from one woman, and an uprising where other women stood in solidarity with her. France has adopted a law that defines rape as any non-consensual sexual act, a milestone for the women in the country, but overall, a strike against sexual violence. The law was passed in response to urgent calls from society to infuse consent into the law, and make sure that the law protects sexual autonomy, particularly with reference to women. Last year, Gisèle Pelicot fought her toughest battle when she took the stand in court, in a case accusing her husband of drugging and allowing her to be raped by several men, some complete strangers. In December last year, the court granted 51 convictions in the case, but it was more significant in how it became a watershed moment to establish consent as a pillar of law. It has been well established that survivors of sexual violence have an arduous journey bringing their case to a court of law, and many women from disadvantaged social and economic backgrounds, indeed do not have that privilege. There is a great deal of stigma, and worse, judgement of the survivors in cases of rape, as recent public statements in India by leaders blaming the women have painfully underlined again, and again. Even when a case of rape enters the trial stage, the chances of securing a conviction are not encouraging. According to the NCRB's data, conviction rates for rape were between 27%-28% from 2018 to 2022. And this, despite the fact that Section 129 of the Bharatiya Nyaya Sanhita recognises "criminal force".

To establish sexual autonomy as the cornerstone of the judicial process, while a first step, is scarcely all. Preventing sexual violence will also involve shaping community views on gender roles, dismantling rigid patriarchal codes with a measure of law, but also awareness programmes that begin early, and orienting the police force to these principles, besides funnelling resources into assisting survivors cope with the trauma. The road ahead is long and arduous; for the journey of the survivors to be eased, governments should start with a complete intolerance for sexual violence, and a commitment to stand by survivors, employing empathy in the investigation and trial processes. To do any less, would be an injustice that would interrupt the momentum of the women's 'Arab Spring' Pelicot had set in motion.

□□□□□ □□□□□□

निष्कर्ष

फ्रांसीसी सुधार सहमति-आधारित न्याय के लिए वैश्विक आंदोलन में एक वाटरशेड है - यह पुष्टि करता है कि सहमति के बिना यौन संबंध स्वाभाविक रूप से हिंसक और आपराधिक हैं। भारत के लिए, सबक स्पष्ट है: अकेले कानून न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं जब तक कि समाज, संस्थान और व्यक्ति सहमति और समानता के सिद्धांत को आत्मसात नहीं करते हैं। यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई कानूनी मजबूती, सामाजिक सहानुभूति और नैतिक साहस की मांग करती है - तभी बचे लोग वास्तव में न्याय और गरिमा पा सकते हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फ्रांस ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो बलात्कार को किसी भी गैर-सहमति वाले यौन कृत्य के रूप में परिभाषित करता है।

2. भारत की भारतीय न्याय संहिता में "आपराधिक बल" को मान्यता देने वाला एक खंड शामिल है।

3. भारत में बलात्कार के लिए दोषसिद्धि दर पिछले पांच वर्षों में लगातार 60% से ऊपर बनी हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव भारत में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को खत्म करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकता है?

Page 10 : GS 3 : Agriculture / Prelims

आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले का राजमपेटा क्षेत्र, जो कभी वर्षा आधारित मूंगफली और दलहन की खेती के लिए जाना जाता था, ने एक बागवानी केंद्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों, बेहतर सिंचाई, और आकांक्षी किसानों (खाड़ी से लौटने वालों और पेशेवरों सहित) से प्रेरित, यह क्षेत्र बागवानी विविधीकरण के लिए एक मॉडल बन गया। हालाँकि, बदलते जलवायु पैटर्न, बढ़ती इनपुट लागत और कमजोर विपणन तंत्र अब इस सफलता की कहानी को खतरे में डाल रहे हैं।

From reaping riches to facing challenges, horticulture switch leaves ryots in a fix

The growth story of horticultural crop cultivation in the Rajampeta region of Annamayya district inspired many professionals, including those from the software industry, to take up farming. The semi-arid Rayalaseema climate, red sandy loam soils, and ancient tank-based irrigation systems helped farmers – who once relied on rain-fed crops like groundnut and pulses – gradually shift to fruit-bearing trees and vegetables. However, drastic weather changes, recurring crop diseases, and a lack of marketing facilities and government support have left many in distress.
K. Umashanker delves deep into the region's changing agricultural dynamics and its drawbacks

मुख्य विश्लेषण

1. बागवानी अर्थव्यवस्था का उदय:

- पिछले चार दशकों में, राजमपेटा के किसान निर्वाह फसलों से आम, केला, पपीता और मीठे नीबू जैसी उच्च मूल्य वाले फलों और सब्जियों की ओर रुख कर रहे हैं।
- अर्ध-शुष्क रायलसीमा जलवायु, लाल रेतीली दोमट मिट्टी और प्राचीन टैंक-आधारित सिंचाई प्रणालियों ने इस परिवर्तन का समर्थन किया।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी योजनाओं ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और उच्च घनत्व वाली फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- पूंजी और बेहतर सड़क संपर्क (विशेष रूप से चेन्नई-मुंबई राजमार्ग के लिए) के साथ खाड़ी से लौटने वालों की आमद ने वाणिज्यिक बागवानी को एक बड़ा बढ़ावा दिया।

2. उभरता संकट:

स्पष्ट समृद्धि के बावजूद, कई चुनौतियाँ सामने आई हैं:

- जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा, अचानक बाढ़ और तापमान में उतार-चढ़ाव पपीता और केले जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- फसल रोग: आम एन्थ्रेक्नोज और ख़स्ता फफूंदी से पीड़ित होता है, जबकि केला सिगाटोका के पत्तों के धब्बे और तने घुन के हमलों का सामना करता है।
- गिरती कीमतें और बिचौलियों का नियंत्रण:
    - उच्च उत्पादन लागत के बावजूद केले की कीमतें घटकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम और पपीते की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।
    - बिचौलिए और एजेंट विनियमित बाजारों या सहकारी विपणन की कमी के कारण फार्मगेट की कीमतों को निर्धारित करते हैं।
- MSP और बुनियादी ढांचे की कमी:
    - बागवानी फसलों को एमएसपी प्रणाली से बाहर रखा गया है, और किसान सब्सिडी या समर्थन हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
    - राजनीतिक वादों के बावजूद कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों की अनुपस्थिति, फसल कटाई के बाद के नुकसान को बढ़ा देती है।
- संस्थागत अंतराल:
    - अनंतराजुपेटा स्थित डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय का कमजोर फंडिंग और विस्तार लिंकेज के कारण क्षेत्र-स्तर पर सीमित प्रभाव है।

3. व्यापक निहितार्थ:

- राजमपेटा मामला संबंधित संस्थागत और अवसंरचनात्मक सहायता के बिना बागवानी विविधीकरण की भेद्यता को दर्शाता है।
- यह अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में बाजार के नेतृत्व वाले कृषि विविधीकरण की स्थिरता के बारे में सवाल उठाता है।
- शिक्षित और पेशेवर किसानों के बीच संकट इंगित करता है कि मूल्य-श्रृंखला एकीकरण और बाजार आश्वासन के बिना कृषि एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बना हुआ है।

निष्कर्ष:

□□□□□ □□□□□□

राजमपेटा में बागवानी उछाल ग्रामीण उद्यम के प्रतीक और असंतुलित कृषि परिवर्तन की चेतावनी भरी कहानी दोनों के रूप में खड़ा है। जबकि पारंपरिक फसलों से विविधीकरण ने आय में सुधार किया है और नए अवसर पैदा किए हैं, जलवायु लचीलापन, भंडारण बुनियादी ढांचे और निष्पक्ष विपणन तंत्र की अनुपस्थिति ने किसानों को कमजोर बना दिया है। सतत बागवानी विकास के लिए, सरकार को बाजार संपर्क, फसल बीमा, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बागवानी एक अस्थायी उछाल के बजाय एक व्यवहार्य और लचीला आजीविका विकल्प बना रहे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न। 'हाई-डेंसिटी प्लांटिंग' शब्द कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। यह संदर्भित करता है:

(a) उपज दक्षता ✓ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

(b) एक ही खेत में बारी-बारी से कई फसलों की खेती करना

(c) आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग करना

(d) सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों का अनुप्रयोग

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश् न : भारत में कृषि उपज के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं? **(250 शब्द)**

Page : 10 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

राजकोषीय घाटा – सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर – सरकार के वित्तीय अनुशासन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, FY26 की पहली छमाही (H1) के लिए भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 36.5% था, जो पिछले वर्ष उसी अवधि में 29% की तुलना में मध्यम राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है.

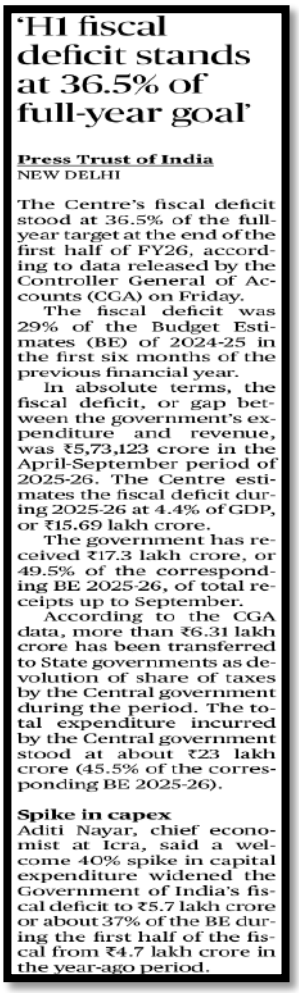

'H1 fiscal deficit stands at 36.5% of full-year goal'

Press Trust of India
NEW DELHI

The Centre's fiscal deficit stood at 36.5% of the full-year target at the end of the first half of FY26, according to data released by the Controller General of Accounts (CGA) on Friday.

The fiscal deficit was 29% of the Budget Estimates (BE) of 2024-25 in the first six months of the previous financial year.

In absolute terms, the fiscal deficit, or gap between the government's expenditure and revenue, was ₹5,73,123 crore in the April-September period of 2025-26. The Centre estimates the fiscal deficit during 2025-26 at 4.4% of GDP, or ₹15.69 lakh crore.

The government has received ₹17.3 lakh crore, or 49.5% of the corresponding BE 2025-26, of total receipts up to September.

According to the CGA data, more than ₹6.31 lakh crore has been transferred to State governments as devolution of share of taxes by the Central government during the period. The total expenditure incurred by the Central government stood at about ₹23 lakh crore (45.5% of the corresponding BE 2025-26).

Spike in capex

Aditi Nayar, chief economist at Icra, said a welcome 40% spike in capital expenditure widened the Government of India's fiscal deficit to ₹5.7 lakh crore or about 37% of the BE during the first half of the fiscal from ₹4.7 lakh crore in the year-ago period.

मुख्य विश्लेषण:

1. डेटा की मुख्य विशेषताएं:

- अप्रैल-सितंबर 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹5.73 लाख करोड़ था, जबकि पूरे साल का अनुमान ₹15.69 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.4%) था।
- कुल प्राप्तियां: ₹17.3 लाख करोड़ (बजट अनुमान 2025-26 का 49.5%)।
- कुल खर्च: ₹23 लाख करोड़ (बजट अनुमान का 45.5%)।
- राज्यों को कर हस्तांतरण: 6.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए।
- पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 40% की वृद्धि ने घाटे को बढ़ाया लेकिन निवेश-आधारित विकास को मजबूत किया।

2. महत्व और निहितार्थ:

- उच्च पूंजीगत व्यय परिव्यय केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास, निजी निवेश में भीड़ और रोजगार पैदा करने की रणनीति के अनुरूप है।
- बढ़े हुए खर्च के बावजूद, वर्ष के मध्य में वार्षिक लक्ष्य के 36.5% पर घाटे को बनाए रखना राजकोषीय विवेक और कुशल नकदी प्रबंधन का सुझाव देता है।
- मजबूत राजस्व संग्रह (कर और गैर-कर दोनों) ने राजकोषीय स्थिरता का समर्थन किया है, जिसमें जीएसटी और प्रत्यक्ष करों ने मजबूत प्रदर्शन किया है।
- हालांकि, बढ़ती वैश्विक तेल कीमतें, सब्सिडी और ब्याज देनदारियां वर्ष की दूसरी छमाही के लिए संभावित राजकोषीय जोखिम बनी हुई हैं।

3. व्यापक राजकोषीय संदर्भ:

- FY26 के लिए GDP का 4.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे के अनुरूप FY27 तक घाटे को 4% से कम करने के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप का हिस्सा है.
- आर्थिक गति को बाधित किए बिना राजकोषीय मजबूती को बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण - विकास-सहायक व्यय और राजस्व जुटाने के सुधारों को मिलाना - आवश्यक है।

□□□□□ □□□□□□

निष्कर्ष:

भारत की पहली छमाही राजकोषीय घाटे की स्थिति राजकोषीय अनुशासन और विकासोन्मुखी खर्च के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाती है। जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादकता के लिए एक सकारात्मक संकेत है, वहीं जीडीपी के 4.4% के FY26 घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर राजकोषीय विवेक महत्वपूर्ण होगा. राजस्व उछाल को मजबूत करने, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कुशल फंड उपयोग सुनिश्चित करने से सरकार को आर्थिक सुधार की गति को बनाए रखते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश् न : भारत सरकार के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजकोषीय घाटा उधार सहित कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है।

2. सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय अल्पावधि में राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है।

3. भारत सरकार का लक्ष्य FY27 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4% से कम करना है.

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर बढ़ते पूंजीगत व्यय के प्रभाव का मूल्यांकन करें। **(150 शब्द)**

Page 12 : GS 2 : International Relations/ Prelims

दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में 2025 एपेक शिखर सम्मेलन में, चीनी राष्ट्रपति **शी जिनपिंग वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए प्रमुख आवाज के रूप में उभरे**, जिसने चीन को बहुपक्षवाद और खुले बाजारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया। अमेरिका की अनुपस्थिति - राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शिखर सम्मेलन को छोड़ने के फैसले से चिह्नित - ने शी को बढ़ती आर्थिक अस्थिरता और व्यापार विखंडन के बीच चीन को एक स्थिर शक्ति के रूप में पेश करने का एक रणनीतिक अवसर दिया।

Xi takes centre stage at APEC meet, promises to defend global free trade

The Chinese leader asks nations to unite amid volatility, presses for supply chain stability and green energy as Trump snubs the summit; in a statement, Xi adds that his country is open for investment and will uphold the multilateral trading system

Associated Press
GYEONGJU

Chinese leader Xi Jinping told Asia-Pacific leaders on Friday that his country would help to defend global free trade at an annual economic regional forum snubbed by U.S. President Donald Trump.

Mr. Xi took centre stage at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit that began on Friday in Gyeongju, as Mr. Trump left the country a day earlier after reaching deals with Mr. Xi meant to ease their escalating trade war. Mr. Trump described his Thursday meeting with Mr. Xi as a roaring success, saying he would cut tariffs on China, while Beijing had agreed to allow the export of rare earth elements and start buying American soybeans.

All ears: South Korean President Lee Jae Myung (L) with Chinese President Xi Jinping at the Economic Leaders' Meeting on Friday. AFP

Mr. Trump's blunt dismissal of APEC risks worsening America's reputation at a forum that represents nearly 40% of the world's population and more than half of global goods trade.

"The more turbulent the times, the more we must work together," Mr. Xi said during APEC's opening session. "The world is undergoing a period of rapid change, with the international situation becoming increasingly complex and volatile."

Mr. Xi called for maintaining supply chain stability, in a riposte to U.S. efforts to decouple its supply chains from China. He also expressed hopes to work with other countries to expand cooperation in green industries and clean energy.

In written remarks sent to a CEO summit held in conjunction with APEC, Mr. Xi said China was open for investment and would uphold the multilateral trading system.

"Facts have proven that whoever gains a foothold in the Chinese market will be able to seize the critical opportunity in increasingly fierce international competition," Xi wrote. "Investing in China is investing in the future."

U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent attended the summit on Mr. Trump's behalf

मुख्य विश्लेषण:

□□□□□ □□□□□□

1. संदर्भ और महत्व:

- **एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक)** एक 21 सदस्यीय क्षेत्रीय मंच है जो **दुनिया की लगभग 40% आबादी** और **आधे से अधिक वैश्विक व्यापार** का प्रतिनिधित्व करता है।
- परंपरागत रूप से, APEC ने मुक्त और खुले व्यापार को आगे बढ़ाने, **क्षेत्रीय एकीकरण** को बढ़ावा देने **और** आर्थिक सहयोग **को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है**।
- इस साल के शिखर सम्मेलन ने भू-राजनीतिक महत्व प्राप्त किया क्योंकि **सप्ताह की शुरुआत में घोषित अस्थायी व्यापार राहत उपायों के बावजूद अमेरिका-चीन संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।**

2. चीन की रणनीतिक स्थिति:

- शी चिनफिंग ने मुक्त व्यापार, वैश्विक निवेश और बहुपक्षवाद के लिए चीन की प्रतिबद्धता की पुष्टि **करने के लिए मंच का उपयोग किया**, जो वाशिंगटन के विघटन से छोड़े गए नेतृत्व शून्य को भरने के लिए बीजिंग के इरादे का संकेत देता है।
- "आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता बनाए रखने" **के उनके आह्वान ने** सीधे तौर पर चीन से "**डिकूपलिंग**" और **"डी-रिस्किंग" को** बढ़ावा देने वाली अमेरिकी नीतियों का मुकाबला किया।
- हरित उद्योगों और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग **पर शी का जोर चीन** के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है ताकि वह खुद को सतत वैश्विक विकास में अग्रणी के रूप में पेश कर सके।
- एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में, शी ने जोर देकर कहा कि **"चीन में निवेश भविष्य में निवेश करना है,"** नियामक सख्ती और धीमी घरेलू मांग पर हालिया चिंताओं के बावजूद विदेशी निवेशकों के लिए खुलेपन का संकेत देता है।

3. वैश्विक व्यापार और शक्ति गतिशीलता के लिए निहितार्थ:

- शी की सक्रिय कूटनीति वैश्विक आर्थिक शासन को अपने पक्ष में फिर से आकार देने **के चीन के प्रयास को रेखांकित करती** है , जो अमेरिका की अप्रत्याशितता के विपरीत खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में चित्रित करती है।
- अमेरिका की **अनुपस्थिति** इंडो-पैसिफिक में इसकी विश्वसनीयता और प्रभाव **को और कमजोर कर सकती है**, जो अपनी स्वयं की इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) महत्वाकांक्षाओं का केंद्र है।
- अमेरिकी सुरक्षा और चीनी बाजारों दोनों पर निर्भर एपेक सदस्यों के लिए, शिखर सम्मेलन ने **रणनीतिक संतुलन अधिनियम पर प्रकाश डाला जिसे** उन्हें बनाए रखना जारी रखना चाहिए।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन **और** हरित सहयोग **पर ध्यान केंद्रित** करना नए वैश्विक व्यापार आख्यान को भी दर्शाता है - जहां भू-राजनीति, स्थिरता और प्रौद्योगिकी मिलती है।

निष्कर्ष:

2025 APEC शिखर सम्मेलन ने वैश्विक व्यापार मानदंडों और क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में चीन की बढ़ती मुखरता को मजबूत किया है। बहुपक्षवाद और खुले बाजारों की रक्षा करने के लिए शी जिनपिंग की प्रतिज्ञा अमेरिका द्वारा खाली किए गए नेतृत्व स्थान पर कब्जा करने के बीजिंग के प्रयास को चिह्नित करती है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि चीन पारदर्शिता, पारस्परिकता और आर्थिक जबरदस्ती पर वैश्विक चिंताओं को कैसे संबोधित करता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए, आगे का रास्ता **रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अन्योन्याश्रयता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में निहित है**, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुक्त व्यापार वास्तव में मुक्त और समावेशी बना रहे।

□□□□□ □□□□□□

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : . एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एपेक एक अंतर-सरकारी मंच है जिसकी स्थापना प्रशांत महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

2. सभी APEC सदस्यों के पास विश्व व्यापार संगठन (WTO) की तरह बाध्यकारी दायित्व हैं।

3. भारत एपेक का संस्थापक सदस्य है।

4. APEC के भीतर निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं और प्रतिबद्धताएं स्वैच्छिक होती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: एपेक शिखर सम्मेलन में चीन का नेतृत्व अमेरिकी विघटन के बीच वैश्विक व्यापार और आर्थिक शासन को आकार देने में उसकी बढ़ती मुखरता को दर्शाता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए इस बदलाव के निहितार्थों पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□

Page : 06 Editorial Analysis

The case for a board of peace and sustainable security

Nirupama Rao
is a former Foreign Secretary of India

The tension between the ideals of the United Nations (UN) and the structure created to uphold them has rarely been as evident as it is today as the organisation commemorates the 80th anniversary of its founding. Designed to prevent catastrophic war, the UN Security Council (UNSC) still reacts to conflict but no longer sustains peace. Across continents, conflicts endure for years without resolution not only because they are complex but also because the international system abandons political engagement too soon. Peace agreements falter. Transitions stall. Diplomacy, rather than being an ongoing process, has become a form of crisis theatre – activated too late and withdrawn too early.

This problem is not simply about political divisions. It is about institutional design. The UN has no dedicated body to maintain political accompaniment once violence slows and mediation efforts fade. The UNSC authorises action but is structurally episodic. Peacekeeping missions stabilise ground conditions but are seldom equipped with a political strategy. The Peacebuilding Commission, though a valuable initiative, lacks the mandate and the authority to engage during active political transitions. The UN loses continuity. It loses context. It loses momentum. It forgets.

Structural reform of the UNSC is necessary and long overdue. But waiting for such reform as a precondition for all institutional innovation is a strategic mistake. Functional reform – reform that strengthens the UN's ability to act now, using powers that already exist under the Charter – is both possible and urgent. The UN General Assembly, under Article 22, has the authority to establish new subsidiary bodies to carry out its work. It has used this power before. It can use it again.

A clearly defined space

A 'Board of Peace and Sustainable Security' would fill the institutional void that now undermines conflict resolution. It would not challenge the primacy of the UNSC in matters of international peace and security. It would not intrude into the sovereign affairs of states. It would not undertake early-warning or pre-conflict intervention – areas that raise real political concerns for many countries. Instead, it would occupy a clearly defined space: providing structured political engagement during and after conflict, where today the UN presence dissipates.

The United Nations must create a new institution that can sustain peace beyond war

Its tools would be political rather than coercive: reinforcing nationally-led dialogue, accompanying peace agreement implementation, coordinating regional diplomatic initiatives and ensuring that peacekeeping operations are tied to achievable political pathways rather than becoming indefinite holding missions. It would work in coordination with the UN Secretary-General and the UNSC, subsume the Peacebuilding Commission (PBC) and help align UN peacekeeping and peacebuilding strategies with political outcomes. It would not challenge UNSC authority, or duplicate or encroach on the Secretary-General's prerogatives under Article 99.

Keep it representative

The credibility of such a body would depend, above all, on who sits at the table. It must be representative but not unwieldy. That means no elite club, but no open forum either. A rotating membership of about two dozen states, elected by the UN General Assembly for fixed terms, would ensure balance and renewal. Regional distribution would be formally guaranteed, with Africa, Asia, Europe, Latin America and the Caribbean, and West Asia each carrying weight.

Crucially, regional organisations would not be observers, but participants, reflecting the reality that peace is shaped as much in Addis Ababa, Jakarta and Brasília as in New York. Power would not be inherited through permanent seats, nor paralysed by vetoes. The board would be built not on privilege but participation. Agenda items would be introduced only by a UN member-state, a regional organisation or the UN Secretary-General. There would be no civil society voting role, although they may have consultative participation.

The concept of sustainable security is essential here. It recognises that lasting peace cannot be maintained by security arrangements alone. Stability endures when political agreements are gradually legitimised through governance, inclusion and responsible leadership. Sustainable security is not preventive intervention by another name; it respects sovereignty and emerges from negotiated settlements implemented over time rather than imposed solutions. It links security to political reality (sustainable security combines conflict management with long-term political stability by aligning peace efforts with governance, development and regional cooperation. It avoids the intervention risks associated with "preventive security" and reinforces nationally led approaches).

Style of functioning

The board would not be another forum for general statements. It would be a working institution. It would stay engaged where others withdraw. It would track commitments long after the spotlight moves on. It would prevent institutional memory from dissolving between mandate renewals. It would reduce the drift that has become common in long-running UN engagements. It would give political shape to international presence when peace is young and fragile.

Its mandate would be modest in appearance but consequential in practice. It would bring a disciplined form of political accompaniment into the heart of the UN system. It would build continuity without expansionism, coordination without confrontation. It would reassure states that sovereignty is protected and reassure societies that peace will not be abandoned at the first difficulty.

UN reform has been discussed for too long in absolute terms. Either one accepts the system as it is or insists on rewriting it entirely. This is a false choice. Institutions do not survive by remaining unchanged; they survive by evolving responsibly. The 'Board of Peace and Sustainable Security' would not solve all that ails the multilateral system. But it would correct one of its most damaging weaknesses: the absence of political continuity in the journey from war to peace.

Reform does not always require new doctrine. Sometimes, it requires remembering first principles. Peace must be sustained. Political commitments must be accompanied. Diplomacy must be disciplined. Institutions must be built not for moments but for processes. The UN once understood this. It can understand it again – if it chooses to innovate where it still can. The 'BPSS' will not redistribute geopolitical power but would improve the UN's ability to manage conflict responsibly. This is where meaningful reform can begin.

The views expressed are personal

GS. Paper 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: सीटीबीटी और न्यू स्टार्ट संधि जैसी वैश्विक हथियार नियंत्रण संधियों पर परमाणु परीक्षण पर रोक से संभावित अमेरिकी वापसी के प्रभाव पर चर्चा करें। परमाणु निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धताओं में विश्वास को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाना। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

दशकों से चले आ रहे संयम को चौंकाने वाला उलटते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने की घोषणा की, 33 साल की रोक को तोड़ दिया और वैश्विक अप्रसार आदेश की नींव को हिला दिया। यह घोषणा रूस द्वारा परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ ट्रम्प की बैठक के तुरंत बाद की गई है – जो न केवल एक नीतिगत बदलाव का संकेत देता है, बल्कि वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ के संभावित पुनरुत्थान का संकेत देता है।

इस कदम से व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) और अप्रसार संधि (एनपीटी) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण तंत्रों को कमजोर करने का खतरा है – दोनों शीत युद्ध के युग के बाद से रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय हैं।

मुख्य विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि: परमाणु परीक्षण व्यवस्था का विकास

- परमाणु परीक्षण स्थगन: 1990 के दशक की शुरुआत से, सभी प्रमुख परमाणु शक्तियों ने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षण से परहेज किया है, भले ही सीटीबीटी (1996) अमेरिका , चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा गैर-अनुसमर्थन के कारण औपचारिक रूप से कभी भी लागू नहीं हुआ था।
- एनपीटी (1970): एक भव्य सौदे *पर निर्मित* - परमाणु राज्य निरस्त्रीकरण का पीछा करेंगे जबकि गैर-परमाणु राज्य परमाणु हथियार प्राप्त करने से परहेज करेंगे।
- अमेरिका और रूस के बीच नई START संधि (2010) ने रणनीतिक हथियारों और वितरण प्रणालियों को और अधिक सीमित कर दिया, जिससे वैश्विक परमाणु स्थिरता में योगदान मिला।

2. अमेरिकी घोषणा: रणनीतिक और राजनीतिक संदर्भ

- **तत्काल ट्रिगर:**
  - रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल *का परीक्षण किया।*
  - अमेरिका-चीन और अमेरिका-रूस तनाव बढ़ गया।
- घरेलू प्रेरणा: ट्रम्प का कदम तत्काल सैन्य आवश्यकता के बजाय राजनीतिक संकेत और निरोध के लिए एक धक्का को भी प्रतिबिंबित कर सकता है।
- नीति में बदलाव: संकेत है कि अमेरिका परमाणु प्रभुत्व को फिर से स्थापित कर रहा है और *कम उपज वाले सामरिक परमाणु हथियारों सहित अपने शस्त्रागार को आधुनिक बनाने की मांग कर सकता है।*

3. वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए निहितार्थ

(ए) अप्रसार वास्तुकला का टूटना:

- परीक्षण फिर से शुरू करना सीटीबीटी की भावना का उल्लंघन करता है और एनपीटी में विश्वास को कमजोर करता है।
- गैर-परमाणु राज्य अब अपने संयम पर सवाल उठा सकते हैं, यह तर्क देते हुए कि परमाणु शक्तियां "सौदेबाजी" के अपने अंत को तोड़ रही हैं।
- ऊर्ध्वाधर प्रसार (परमाणु शस्त्रागार की गुणात्मक वृद्धि) और क्षैतिज प्रसार (परमाणु विकसित करने वाले नए प्रवेशक) को चिंगारी दे सकता है।

□□□□□ □□□□□□

(बी) **नए सिरे से हथियारों की दौड़ का जोखिम:**

- चीन और रूस उन्नत या सामरिक परमाणु हथियारों के परीक्षणों को फिर से शुरू करने को उचित ठहरा सकते हैं।
- यह अनौपचारिक परीक्षण वर्जना को खत्म कर देगा जिसने तीन दशकों तक परमाणु वृद्धि को नियंत्रण में रखा है।

(ग) क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव - दक्षिण एशिया और उससे आगे:

- यदि चीन परीक्षण फिर से शुरू करता है, तो भारत का रणनीतिक समुदाय अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मजबूर महसूस करेगा, जिससे संभावित रूप से नए सिरे से परीक्षण हो सकता है।
- यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है – भारत → पाकिस्तान □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ →।
- जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों के लिए विस्तारित प्रतिरोधक को कमजोर करता है , जो अपने स्वयं के परमाणु विकल्पों पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

(d) राजनयिक नतीजा:

- यह कदम परमाणु संयम की वकालत करने वाले सहयोगियों (जैसे, यूरोपीय संघ, जापान) को अलग-थलग कर देता है।
- यह हथियार नियंत्रण और अप्रसार में एक वैश्विक नेता के रूप में अमेरिकी नैतिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है।

4. पर्यावरण और नैतिक चिंताएँ

- परमाणु परीक्षण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनते हैं - विकिरण, भूजल संदूषण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य खतरे।
- राजनीतिक रूप से, यह निर्णय हिरोशिमा, नागासाकी की ऐतिहासिक स्मृति से एक खतरनाक अलगाव को दर्शाता है, और शीत युद्ध लगभग चूक गया है।

5. आगे का रास्ता: वैश्विक हथियार नियंत्रण संवाद की आवश्यकता

- बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना: देशों को CTBT और NPT ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए।
- त्रिपक्षीय वार्ता: अमेरिका, रूस और चीन को 2026 के बाद (न्यू स्टार्ट समाप्ति के बाद) त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण संधि पर बातचीत करनी चाहिए।
- नो-फर्स्ट-यूज़ (एनएफयू) सिद्धांत: एक वैश्विक एनएफयू प्रतिबद्धता परमाणु ब्रिंकमैनशिप को कम कर सकती है।
- आईएईए और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मंचों के तहत सत्यापन तंत्र को मजबूत करना।
- भारत का रुख: भारत, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में, *विश्वसनीय न्यूनतम निरोध बनाए रखते हुए* सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण की वकालत कर सकता है।

निष्कर्ष:

परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करने का अमेरिकी निर्णय वैश्विक परमाणु राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दशकों की श्रमसाध्य निरस्त्रीकरण कूटनीति को उजागर करने की धमकी देता है। यह अप्रसार व्यवस्था को कमजोर करता है, एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ का जोखिम उठाता है, और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को अस्थिर करता है।

ऐसे समय में जब डूम्सडे क्लॉक आधी रात से 89 सेकंड तक है, वैश्विक शक्तियों को निरस्त्रीकरण और जिम्मेदार निरोध के आसपास आम सहमति का तत्काल पुनर्निर्माण करना चाहिए। दुनिया शीत युद्ध की परमाणु कगार पर लौटने का जोखिम नहीं उठा सकती है - तब नहीं जब हिरोशिमा और नागासाकी के सबक अभी भी इतिहास की चेतावनियों के रूप में गूंजते हैं।